प्रेस विज्ञप्ति

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय
10, बहादुर शाह जफर मार्ग

नई दिल्ली
10 मार्च 2017

नियंत्रक एवं महालेखपरीक्षक के राज्य का प्रतिवेदन, दिल्ली सरकार राज्य विधान सभा में प्रस्तुत

मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के चार लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के समक्ष रखे जाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधिनियम, 1991 के खंड 48 के अंतर्गत दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रस्तुत किए गए।

सामाजिक क्षेत्र (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) पर वर्ष 2016 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 3 को 22 अगस्त 2016 को उपराज्यपाल को प्रस्तुत किया गया जबकि सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) पर वर्ष 2017 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 1 और राजस्व तथा सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों (सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 5 को 23 फरवरी 2017 को प्रस्तुत किया गया। राज्य वित्त पर वर्ष 2016 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 4 को उपराज्यपाल को 6 मार्च 2017 को प्रस्तुत किया गया।

उपरोक्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधान सभा के समक्ष10 मार्च 2017 को रखे गए।

क सामाजिक क्षेत्र (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) पर वर्ष 2016 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 3

इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में डेंगू की रोकथाम तथा नियंत्रण' पर ₹53.69 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ की एक निष्पादन लेखापरीक्षा है

और 'राजीव गांधी चौक का पुनर्विकास' तथा 'रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के विज्ञापन तथा प्रचार अभियान' से संबंधित ₹83.28 करोड़को शामिल करते हुए लेखापरीक्षा प्राप्तियां है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में डेंगू की रोकथाम तथा नियंत्रण

दिल्ली 1967 से डेंगू के प्रकोप को वहन कर रही है और सरकार, नगर निगमों तथा अन्य संबंधित एजेंसियों द्वारा कई वर्षों से इसकी उत्पत्ति को रोकने तथा नियंत्रण के साथ-साथ पीड़ित व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता तथा राहत प्रदान करने हेतु विभिन्न उपाय करती रहीहै। यद्यपि डेंगू कीपिछले वर्ष में सूचित मामलों की संख्या में सतत उतार-चढ़ाव सहित प्रत्येक वर्ष इसका फैलना जारी हैजिससे समस्या का सामना करने के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय संसाधनों की प्रतिबद्धता अनिवार्य हो जाती है। जनवरी 2013 से दिसम्बर 2015 की अवधि को कवर करते हुए निष्पादन लेखापरीक्षा यह निर्धारित करने के लिए की गई कि क्या सरकारी एजेंसियों और नगर निगमों द्वारा डेंगू नियंत्रण हेतु किए गए उपाय पर्याप्त और प्रभावी थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि रा.रा.क्षे. दिल्ली में कई वर्षों से डेंगू की पुनरावृति तथा 2015 के दौरान डेंगू के मामलों के साथ-साथ मृत्युदर में हुई वृद्धि के बावजूद, सांस्थानिक प्रणाली विभागों के साथ-साथ नगर निगमों द्वारा उठाए गए कदम समस्या के विस्तार के अनुरूप नहीं थे यद्यपि निधि की कमी नहीं थी। मुख्य लेखापरीक्षा प्राप्तियां नीचे सारांशीकृत की गई हैः

- डेंगू की रोकथाम हेतु प्रथम क्रिटिकल घटक प्रभावी निगरानी है जो आने वाले प्रकोप की शीघ्र चेतावनी दे सकती है। तीनों दिल्ली नगर निगमों (दि.न.नि.) पूर्व, उत्तर तथा दक्षिण के साथ-साथ नई दिल्ली नगर परिषद (न.दि.न.प.) ने महामारीय तथा कीटविज्ञान संबंधी निगरानी के लिए न तो कोई मानक प्रचालन प्रक्रिया विकसित की थी और न ही इस उदेद्श्य के लिए कोई प्रयोगशाला सुविधा थी। फलस्वरूप, महामारीविदों तथा कीटविज्ञानियों को खतरों के निर्धारण के लिए महामारीय तथा कीटविज्ञान संबंधी आंकड़ों के मूल्यांकन के उनके प्राथमिक उद्देश्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, 967 में से केवल 289 रिपोर्टिंग इकाईयों (30 *प्रतिशत*) ने राज्य निगरानी इकाई को डेंगू रोगियों के आंकड़े सूचित किए जिससे इसका सामयिक हस्तक्षेप के लिए अर्थपूर्ण निगरानी का उद्देश्य कमतर हो गया।

- मच्छर प्रजनन को परिवेश परिवर्तन के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है, जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, निर्माण स्थलों, टायर मार्किट इत्यादि की उचित स्वच्छता तथा नियमन शामिल होती हैं। यद्यपि न तो दि.न.नि. और न ही न.दि.न.प. में मच्छर प्रजनन को नियंत्रित करने के लिए परिवेशीय परिवर्तन हेतु अन्य संबंधित विभागों/एजेंसियों के साथ सहयोग अथवा समन्वय हेतु कोई सांस्थानिक प्रणाली थी।

- नगर निगमों ने अपने अधिकार क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले घरों में लार्वा को लक्ष्य करने के लिए घरेलू प्रजनन जाँचकर्ताओं को नियुक्त किया। जबकि न.दि.न.प. ने इस कार्य के लिए मलेरियारोधी गैंगमैनों को नियुक्त किया जो उनके नियमित स्टॉफ थे, दि.न.नि. ने इस कार्य के लिए ₹ 109.43 करोड़ का व्यय करके 3,358 अकुशल व्यक्तियों को काम पर लगाया। यद्यपि, किए गए कार्य अथवा उनकी प्रभाविता के निर्धारण हेतु कोई मॉनिटरिंग या पर्यवेक्षण नहीं था।

- अप्रैल 2013 से मार्च 2016 के दौरान व्यस्क मच्छरों के नियंत्रण के लिए कीटनाशकों, डाइल्युंटों तथा उपकरण की खरीद पर ₹ 88.26 करोड़ व्यय किया गया। यद्यपि, रसायनों तथा कीटविज्ञानीय संबंधी निगरानी के उपयोग पर एक निश्चित नीति के अभाव में एक विशेष प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए सबसे उपयुक्त कीटनाशक तथा तकनीकों का चयन करने और उन मोहल्लों/परिसरों जहाँ रसायन प्रभावी रूप से प्रयुक्त किए जा सकते थे, को चिन्हित करने की कोई प्रणाली नहीं थी।

- कुल 83.63 लाख घरों का उपचार तीन विभिन्न तकनीकों को लागू करके छः विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों से किया गया। इनमें से 72.07 लाख घरों (86 प्रतिशत) का उपचार उन तकनीकों/रासायनिक घोल को अपनाकर किया गया जो राष्ट्रीय रोगवाहक जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम अथवा चिकनगुनिया तथा डेंगू महामारी प्रकोप के नियंत्रण के लिए कार्यक्रम के दिशानिर्देशों में न तो निर्धारित हैं और न ही उनकी सिफारिश की गई है। ऐसे उपचार पर ₹ 2.55 करोड़ का व्यय किया गया। रोगवाहक नियंत्रण में अपनाये गये तरीकों की प्रभाविता के लिए भी कोई निर्धारण नहीं किया गया था।

- आऊटडोर स्पेस फॉगिंग की सिफारिश सामान्यतः केवल आपातकालीन स्थिति में चल रही महामारी को दबाने या आरंभ में ही उसकी रोकथाम करने में की जाती है। यद्यपि, दि.न.नि. तथा न.दि.न.प. ने वर्ष 2013-15 के दौरान ₹ 95.10 लाख की लागत पर आऊटडोर फॉगिंग को नियमित रूप में किया। इसके प्रयोग की प्रभाविता को निश्चित करने हेतु कोई अध्ययन नहीं किया गया।

- दि.न.नि. तथा न.दि.न.प. द्वारा लार्वा पर रासायनिक नियंत्रण हेतु उपयोग किए गए घोल अथवा अपनाए गए तरीके दिशानिर्देशों में दी गई सिफारिशों के अनुरूप नहीं थे। निगमों ने कीटनाशक का प्रयोग नालियों में बहने वाले पानी में किया तथा ऐसी आवृत्ति में किया जिसे दिशानिर्देशों में नहीं बताया गया। इस पर ₹37.26 करोड़ का व्यय किया गया। इसके अतिरिक्त, ₹79.76 लाख मूल्य के कीटनाशकों के प्रयोग का कोई रिकार्ड नहीं था जबकि ₹2.09 करोड़ मूल्य के लार्वीसाइड का प्रयोग ऐसी परिस्थितियों में किया गया जिनसे पानी एकत्र करने वाले पात्रों की नियमित सफाई करके अच्छी तरह निपटा जा सकता था।

- दिल्ली छावनी बोर्ड 2013-14 से 2015-16 के दौरान मच्छररोधी परिचालनों हेतु कुल आवंटित ₹1.80 करोड़ में से 74 *प्रतिशत* निधियों का उपयोग नहीं कर सका। इसने न तो अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों की फॉगिंग और स्प्रे के लिए कोई कार्य योजना बनाई और न ही वास्तव में किए गए किसी कार्य का कोई रिकार्ड था।

- डेंगू प्रकोप की प्रतिक्रिया के लिए सांस्थानिक प्रबंध कमजोर थे। डेंगू कार्यबल जो डेंगू के नियंत्रण हेतु कार्य योजनाऐं बनाने के लिए गठित किया गया था, अक्रियाशील रहा। डेंगू प्रकोप की सूचना देने वाला कोई तंत्र नहीं था और दि.न.नि., न.दि.न.प., उत्तरी रेलवे तथा दिल्ली छावनी बोर्ड में तत्काल प्रतिक्रिया दल गठित नहीं किए गए थे जो संक्रमण को रोकने अथवा कम करने तथा मच्छर प्रजनन स्थलों को जड़ से समाप्त करने के लिए आपातकालीन कार्रवाई कर सके।

- डेंगू मृत्यु समीक्षा समिति का गठन सभी डेंगू के मामलों की चिकित्सकीय लेखापरीक्षा करने के लिए किया जाना था तथा समिति हेतु दिशानिर्देश, राष्ट्रीय रोगवाहक जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के निदेशालय द्वारा बनाए जाने थे। ऐसे कोई दिशानिर्देश नहीं बनाए गए। दक्षिण दिल्ली नगर पालिका ने नोडल एजेंसी के रूप में अस्पतालों द्वारा सूचित डेंगू के 67,578 पॉजिटिव मामलों में से केवल 22,436 मामले ही निदेशालय को सूचित किए। वर्ष 2015 के लिए अस्पतालों ने 409 डेंगू मृत्यु की सूचना दी जबकि मृत्यु समीक्षा समिति ने केवल 60 मृत्यु की पुष्टि की।

- मलेरिया सर्कल एक प्रारम्भिक इकाई है जहाँ से सभी फील्ड ऑपरेशन पूरे किए जाते हैं। 67 *प्रतिशत* से अधिक मलेरिया सर्कलस में आधारभूत अवसंरचना सुविधाओं जैसे पानी के कनेक्शन की कमी थी, जबकि 22 *प्रतिशत* में बिजली कनेक्शन नहीं था और 88 *प्रतिशत* सर्कलस में लैंडलाईन टेलीफोन नहीं था जिसने उनकी कार्यों को कुशलतापूर्वक करने की क्षमता को प्रभावित किया। दि.न.नि. तथा न.दि.न.प. में लगभग क्रमशः 26 *प्रतिशत* तथा 65 प्रतिशत उपलब्ध पंप/मशीनें कार्यात्मक नहीं थी।

- दिल्ली सरकार ने 2013-14 से 2015-16 के दौरान डेंगू की रोकथाम हेतु जागरूकता अभियानों पर ₹ 10.04 करोड़ खर्च किये। यद्यपि, विज्ञापन सितम्बर और नवम्बर के बीच अर्थात् डेंगू प्रकोप के आने के पश्चात जारी किए गए जिससे डेंगू प्रकोप से बचाव के लिए की गई जागरूकता का उद्देश्य विफल हो गया। इसी तरह, दि.न.नि. ने भी प्रत्येक वर्ष मानसून के बाद अक्तूबर में अपने जन जागरूक अभियानों को आरंभ किया।

राजीव गाँधी चौक का पुनर्विकास

कनॉट प्लेस (सी पी), मूलत: 1929 में एक बाजार-सह-रिहायशी कॉम्प्लेक्स के रूप में डिजाईन किया गया। कनॉट प्लेस को वर्ष 1995 में राजीव गाँधी चौक के रूप में पुन:नामित किया गया। समय बीतने के साथ पुरानी होने की प्रक्रिया और संरचनाओं में तदर्थ बदलावों तथा निर्माण के फलस्वरूप इस हैरिटेज काम्पलैक्स की समग्र स्थिति में गिरावट आई और इसके मूल अग्रभाग विरूपित हो गये। इसके अतिरिक्त

इसके आंतरिक सर्किल में भूमिगत पालिका बाजार और राजीव चौक मेट्रो इंटरचेंज टर्मिनल के निर्माण से सीपी में आगंतुकों तथा वाहनों की संख्या में वृद्धि हुई जिससे परिवहन की भीड़-भाड़ और सड़कों पर वाहन व पदयात्रियों के बीच टकराव होने लगा। वाणिज्यिक गतिविधियों में वृद्धि और बढ़ती जनसंख्या से सीपी की नागर अवसंरचना पर अतिरिक्त दबाव पड़ा।

परियोजना का मूल उद्देश्य सी.पी. के वास्तुशिल्पीय तथा हैरिटेज स्वरूप का पुनरूद्धार करना साथ ही यातायात तथा पदयात्रियों की आवाजाही को सुगम बनाते हुए राष्ट्रीय राजधानी के इस प्रधान केन्द्र में पर्यटकों की अनुभूति तथा अनुभव में बढ़ोतरी करना था। इस उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया गया। परियोजना का कार्य क्षेत्र मूल विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में निहित ₹ 615.20 करोड़ से घटाकर ₹ 477.02 करोड़ कर दिया गया।मुख्य प्राप्तियां नीचे सारांशीकृत की गई हैः

- केवल बाह्य व आंतरिक सर्किलों में ही अग्रभाग के पुनरूद्धार का कार्य किया गया जबकि भवन के स्थायित्व की स्थिति का अध्ययन नहीं करवाया। सबवेज, स्वचालित सीढ़ियाँ, भूमिगत पार्किंग स्थल तथा भू-दृश्य व प्रकाश व्यवस्था में सुधार जैसी सुविधाएँ जोकि ट्रैफिक व पैदल यात्रा को सुगम बनाने तथा पर्यटकों के अनुभव में वृध्दि के लिये थी, पूरी नहीं की गई।
- यूटिलिटी कॉरिडोर्स, सतह निर्माण और जल आपूर्ति पर ₹ 14.67 करोड़ का व्यय निष्फल हुआ।
- कॉरीडोर के फर्श एवं कबर्स प्रदान करने के लिए₹3.38 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ और₹ 4.97 करोड़ की लागत पर अग्निशमन क्षमताओं की वृद्धि का प्रभाव लेखापरीक्षा में आकलित नहीं हो सका।
- टर्नकी परामर्शदाता, इंजीनियर्स इंडिया लि. द्वारा सर्विस टनल बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली तकनीक में बदलाव के कारण हुए वित्तीय प्रभाव की लागत ₹71.21 करोड़ से ₹192.95 करोड़ होने के बावजूद, न.दि.न.प. के समक्ष पुनर्विचार एवं निर्णय के लिए प्रस्तुत नहीं किया।

रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार का विज्ञापन तथा प्रचार अभियान

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का सूचना एवं प्रचार निदेशालय (डी.आई.पी.), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के कार्यक्रमों, नीतियों तथा कार्यकलापों की सूचना तथा प्रसारण के लिए उत्तरदायी होता है तथा उसके सभी विभागों की प्रचार आवश्यकताओं की देखरेख करता है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने मई 2015 के निर्णय में किसी भी निहित सार्वजनिक हित के बिना विज्ञापन के लिए सार्वजनिक निधियों के मनमाने ढंग से उपयोग को रोकने की दृष्टि से 'सरकारी विज्ञापन के विषय नियमन पर दिशानिर्देशों' को अनुमोदित किया। लेखापरीक्षा ने डी.आई.पी. एवं अन्य पाँच विभागों व दिल्ली जल बोर्ड से संबंधित विज्ञापनों के प्रतिवेदनों की, जोकि 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2016 तक जारी हुए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि विज्ञापन एवं प्रचार पर व्यय मितव्ययता, दक्षता एवं प्रभावशाली तरीके से वित्तीय मर्यादाओं के अनुरूप हुआ है, नमूना जाँच की। शीर्ष न्यायालय द्वारा अनुमोदित सिद्धांत एवं दिशानिर्देश, किये गये व्यय के आकलन एवं मूल्यांकन के लिए मानदण्ड के रूप में अपनाये गये थे।

रा.रा.क्षे.दि.स. ने 2013-14 में ₹ 47.74 करोड़ एवं 2014-15 मेंर ₹ 27.43 करोड़ का व्यय किया। वर्ष 2015-16 के दौरान किया गया व्यय, 2015-16के दौरान जारी किए गए विज्ञापनों से संबंधित परंतु 2016-17 में भुगतान किए गए₹ 20.23 करोड़ सहित कुल ₹ 101.46 करोड़ था। इसके अतिरिक्त2015-16 के दौरान जारी किए गए दृश्य श्रव्य विज्ञापनों से संबंधित लगभग ₹ 12.75 करोड़ की प्रतिबद्ध देयताएँ थीं। प्रिंट तथा बाहरी माध्यमोंके संबंध में प्रतिबद्ध देयताओं का विवरण लेखापरीक्षा में माँगने पर भी नहीं दिया गया। इस प्रकार 2015-16 के दौरान जारी विज्ञापनों पर वास्तविक व्यय ₹ 114.21 करोड़ से अधिक हो सकता है।

सार्वजनिक निधि द्वारा वित्तपोषित विज्ञापन एवं प्रचार अभियानों का उत्तरदायित्व सरकार पर होना चाहिए तथा संबंधित राज्य/संघ प्रदेश में सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों, सेवाओं एवं पहल के बारे में जनता को सूचित करने के लिए निर्दिष्ट होना चाहिए। अभिलेखों की नमूना जांच में लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पायाः-

- विज्ञापन एवं प्रचार अभियानों पर ₹ 24.29 करोड़ का व्यय सामान्य रूप से लोक निधियों से व्यय के स्वीकृत सिद्धान्तों के अनुरूप या माननीयसर्वोच्च

न्यायालय द्वारा अनुमोदित विनियमों पर आधारित दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं था।

- एक विशिष्ट अभियान में किये गयेरू 33.40 करोड़ में से ₹28.71 करोड़ (86*प्रतिशत*) का व्यय रा.रा.क्षे.दिल्ली के बाहर के विज्ञापनों से संबंधित था, जो रा.रा.क्षे.दि.स. के उत्तरदायित्व से परे था।

- लक्षित श्रोताओं की पहचान या आवश्यक दृश्यता या पहुँच के लिए कोई पूर्वाभ्यास नहीं था, न ही कोई अभियान पश्चात प्रभाव आकलन किया गया था।

- जबकि 'शब्दार्थ' की स्थापना विज्ञापनों पर व्यय में मितव्ययता के उद्देश्य से की गई थी, जो प्राप्त नहीं हो सके।

- आवश्यक पंजिकाओं के अनुचित या गैर अनुरक्षण के साथ सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन को प्राप्त करते हुए विज्ञापन/प्रचार अभियान प्रकाशित करने के लिए प्रस्तावों में कीमत अनुमान के समावेश से संबंधित विद्यमान निर्देशों के गैर अनुपालन ने व्यय नियंत्रण को कम किया एवं विज्ञापन तथा प्रचार पर उत्पन्न देयताओं व किये गये व्यय की यथार्थता एवं व्यापकता का कोई आश्वासन नहीं दिया।

*****

ख सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) पर वर्ष 2017 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 1

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) का कुल व्यय 2011-16 के दौरान ₹25,314.54 करोड़ से 33.36 *प्रतिशत* बढ़कर ₹33,760.34 करोड़ हो गया जबकि राजस्व व्यय 2011-12 में ₹17,964.85 करोड़ से 46.63 प्रतिशत बढ़कर 2015-16 में ₹26,342.55 करोड़ हो गया। गैर-योजनागत राजस्व व्यय 2011-16 की अवधि के दौरान ₹11,524.00 करोड़ से 55.88 *प्रतिशत* बढ़कर ₹17,963.23 करोड़ और पूंजीगत व्यय ₹4,004.27 करोड़ से बढ़कर ₹4,723.47 करोड़ हो गया।

इस प्रतिवेदन में चार निष्पादन लेखापरीक्षाएं यथा (i) बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का अधिनियम, 2009 का कार्यान्वयन, (ii)'दिल्ली में खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन (iii)'दिल्ली में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का उन्नयन,' और (iv) श्रम विभाग द्वारा उद्योगों में श्रम व सुरक्षा कानूनों का क्रियान्वयन और परिहार्य/व्यर्थ व्यय, अतिरिक्त अधिशेष की निगरानी का अभाव, धन वापसी का दावा न करने, करार के नियमों/प्रावधानों से विचलन, वसूली न होने और व्यर्थ निवेश से संबंधित 12 पैराग्राफ हैं। इन लेखापरीक्षा प्राप्तियों का वित्तीय निहितार्थ₹336.87 करोड़ है।

<u>निष्पादन लेखापरीक्षा</u>

बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का अधिनियम, 2009का कार्यान्वयन

बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का अधिनियम, 2009 (शि.का.अ. अधिनियम) 6-14 वर्ष के आयुवर्ग के बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। 2010-16 की अवधि को कवर करते हुए निष्पादन लेखापरीक्षा में खराब योजना एवं तैयारी, लगातार रिक्तियां तथा साथ ही निधियों का जारी होने और इसके उपयोगमें विलंब के कारण अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन प्रभावित हुआ।

- दिल्ली में शि.का.अ. अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए सरकार की प्रभावी योजना का अभाव था। निकटवर्ती स्कूलों को निर्धारित करने व स्थापित करने के उद्देश्य हेतु जन्म से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के आंकड़े एकत्र करने और रखने तथा उसे स्कूलों की मैपिंग के साथ लिंक करने का घरेलू सर्वेक्षण पूरा नहीं किया गया। ऐसे महत्वपूर्ण आंकड़ों के अभाव में सरकार के लिए स्कूल में, 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे का नामांकन सुनिश्चित करना संभव नहीं था। रा.रा.क्षे.दि.स. तथा स्थानीय निकायों द्वारा बच्चों के नामांकन हेतु किन्हीं निश्चित लक्ष्यों को नियत नहीं किया गया था।

- केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा निदेशालय द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण मिशन (प्रा.शि.सा.मि.) को निधियां विलंब से और कम जारी की गई थीं। 2010-16 के दौरान परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रा.शि.सा.मि. कोर् 1,115.72 करोड़ के अनुमोदन के प्रति केवल ₹ 647.48 करोड़ उपलब्ध कराया गया। उसी अवधि में प्रा.शि.सा.मि. ने वास्तव में केवल ₹ 534.29 करोड़ खर्च किया।

- सरकारी तथा सहायता प्राप्त स्कूलों के कक्षा-1 में नामांकन 2010-11 में 2,04,884 से 23 प्रतिशत कम होकर 2015-16 में 1,56,911 हो गए जबकि 2010-16 के दौरान कुल नामांकन (प्राइवेट स्कूलों को शामिल कर) के संबंध में लगभग स्थिर स्थिति रही जो उसी अवधि के दौरान दिल्ली की जनसंख्या में वृद्धि के अनुरुप नहीं थी।

- बच्चों को विशेष प्रशिक्षण से संबंधित एवं दिव्यांग बच्चों या कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी ग्रुप के बच्चों के लिए प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया। निदेशालय के गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों ने 1,45,142 सीटों के विरुद्ध कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी ग्रुप से संबंधित केवल 90,262 बच्चों को दाखिला दिया जोकि 2011-16 के दौरान उनके लिए आरक्षित की जानी चाहिए थी।

- आधारभूत ढांचे में वृद्धि की आवश्यकता के बावजूद, अतिरिक्त कक्षाएं एवं शौचालयों के निर्माण हेतु प्रा.शि.सा.मि. को 2015-16 के दौरान ₹ 18.29 करोड़ स्वीकृत किया गया जो जून 2016 तक बिना उपयोग के रहा जबकि

कक्षाएं, हॉल, शौचालयों एवं बाहरी दिवारों के निर्माण के 69 से 81 *प्रतिशत* कार्य उत्तरी एवं दक्षिणी नगर निगमों में कार्यान्वित नहीं हुए।

- निदेशालय के स्कूलों में जुलाई 2016 तक शिक्षकों तथा लाइब्रेरियन के 38,916 संस्वीकृत पदों में से 8,579 पद (22 *प्रतिशत*) रिक्त थे।
- दिल्ली नगर निगमों (दि.न.नि.) के 34 चयनित स्कूलों के सभी बच्चों को यूनिफार्म, पाठ्य पुस्तकें तथा लेखन सामग्री वितरित नहीं की गई थीं और जहां जारी की गई वे भी विलंब से की गई। दि.न.नि. से सहायता प्राप्त स्कूलों के किसी भी विद्यार्थी को यूनिफार्म और लेखन सामग्री जारी नहीं की गई थी।
- शि.का.अ. अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु अधिनियम के अधीन परिकल्पित किया गया संस्थागत तंत्र गैर-प्रभावी था क्योंकि विभिन्न सलाहकारी एवं निगरानी समितियां या तो संस्थापित नहीं हुई या उन्होंने नियमित बैठकें नहीं की।

दिल्ली में खाद्य सुरक्षाएवं मानक अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन

देश में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 खाद्य सुरक्षा मानकों का प्रावधान करता है। अगस्त 2011 से मार्च 2016 की अवधि को कवर करते हुए एक निष्पादन लेखापरीक्षा, अधिनियम को लागू करने में कमजोर विनियामक तथा प्रशासनिक तंत्र को प्रकट करती है। अधिनियम के मुख्य प्रावधानों की गैर अनुपालना खाद्य की गुणवत्ता के साथ समझौता करना है, जो कि जन सामान्य के स्वास्थ्य को गंभीर रुप से खतरे में डालता है।

- विभाग ने न तो खाद्य व्यापार संचालकों की पहचान करने के लिये सर्वेक्षण कराया न ही खाद्य व्यापार संस्थापनों के आंकड़ों का रखरखाव किया। जन उपभोग मदों में लगे बहुत से खाद्य व्यापार संचालक अधिनियम के अंतर्गत कवर होने से रह गए।
- राज्य खाद्य प्रयोगशाला ने वर्ष 2012 में दो वर्षों के लिए परीक्षण और मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड का प्रत्यायन प्राप्त किया। मार्च 2014 के बाद प्रत्यायन का नवीनीकरणनहीं हो सकाक्योंकि तकनीकी स्टाफ और आवश्यक उपकरणों के अभाव के कारण उन्नयन नहीं हो सका।

- खाद्य व्यापार संचालकों को लाइसेंस तथा पंजीकरण को जारी करने में विलंब हुआ।1,914 लाइसेंस तथा 12,200 पंजीकरण प्रमाणपत्रों की गैर-नवीनीकरण केकारण समयसीमा समाप्त हो गई थी।

- 97*प्रतिशत* मामलों में कोई निरीक्षण नहीं किया गया। उठाए गए नमूने बहुत कम थे अर्थात 49,796 लाइसेंस प्राप्त खाद्य संस्थापनों से चार प्रतिदिन की दर से। विभाग ने खाद्य नमूने उठाने हेतु कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किया। खाद्य नमूनों को निर्धारित पैरामीटरों के लिए संपूर्णता की जांच किए बिना खाद्य सुरक्षा मानकों के समानुरुप घोषित कर दिया गया।

- विभाग ने अधिनियम के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग हेतु इसके आंतरिक आदेशों के साथ अनुपालन को मॉनीटर नहीं किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को फील्ड़ ड्यूटी के आवंटन हेतु दैनिक डायरियों, शिकायत सुधार हेतु शिकायत रजिस्टरों तथा विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों की निगरानी हेतु प्रगति रजिस्टरों के गैर अनुरक्षण ने शिथिल आंतरिक नियंत्रण को दर्शाया।

दिल्ली में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का उन्नयन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रदिल्ली में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की व्यवस्था स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (स्वा.प.क.वि.) द्वारा की जाती है। 2010-16 की अवधि को शामिल करते हुए **"**दिल्ली में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं काउन्नयन**"** की निष्पादन लेखापरीक्षा में योजनाओं तथा परियोजनाओं का पता चला जिनमें कमजोर प्लानिंग तथा कार्यान्वयन था जिसके परिणामस्वरूप परियोजनाओं के फलीभूत होने में विलंब हुआ तथा जरूरतमंद मरीजों को अभीष्ट लाभ प्राप्त नहीं हुए।

- स्थ्य सेवा निदेशालय(स्वा.से.नि.) ने 2007-16 के दौरान ₹ 14.26करोड़ की लागत पर नई स्वास्थ्य सुविधाओं की 30 परियोजनाओं के लिए 77,558.35 वर्ग मी. भूमि का कब्जा लिया तथा चारदीवारी, बाड़ लगाने,

प्रवेश द्वार, सुरक्षा पर ₹ 3.28 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया, परन्तु अगस्त 2016 तक इनमें से किसी भूखण्ड का प्रयोग नहीं किया।

- यद्यपि, प्रस्तावित 2,575 बिस्तर क्षमता वाले नए अस्पतालों की 11 अन्य परियोजनाओं के लिएकार्यान्वयन एजेंसियोंका निर्धारण कर लिया गया था,यद्यपि इसमें कोई ज्यादा प्रगति नहीं हुई थी। स्वा.से.नि. ने भूमि लागत, चारदीवारी तथासुरक्षाके प्रति इन परियोजनाओं पर ₹17.06करोड़ का व्यय किया था।
- ₹72.07 करोड़ की लागत पर निर्मित गुरू तेग बहादुर अस्पताल का मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य (मा.बा.स्वा.) तथा डायबिटीज, इंडोक्राइन तथा मेटाबोलिक (डा.इ.मे.) ब्लॉक पूरा होने के 2-4 वर्षों के बाद भी स्टॉफ की कमी,चिकित्सीय गैस पाइपलाइन के गैर-संस्थापन तथा आवश्यक उपकरणों की खरीद में देरी के कारण, पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं किया जा सका। स्टॉफ की भर्ती न किए जाने तथा उपकरणों के अभाव के कारण राजीव गाँधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल तथा जनकपुरी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के पूरा होने के 4 से 8 वर्षो बाद भी पूर्ण रूप से प्रयोग नही हुआ।

उद्योगों में श्रम तथा सुरक्षा कानूनों का कार्यान्वयन

उद्योगों में श्रम कानूनों तथा सुरक्षा उपायों को लागू करने में श्रम विभाग के निष्पादन का आकलन करने की दृष्टि से 2011-16 की अवधि को कवर करते हुए एक निष्पादन लेखापरीक्षा मई 2016 से सितंबर 2016 तक की गई। लेखापरीक्षा में पाया गया कि अधिनियमों के प्रावधानों के कर्मठ अनुपालन तथा प्रवर्तन के अभाव ने औद्योगिक विवादों के शीघ्र तथा उचित समाधान को सुनिश्चित करने तथा सुरक्षा तथा स्वास्थ्य मानदंडों की शर्तों में श्रमिकों के वैध हितों की रक्षा तथा शोषण से उनकी रक्षा के मूल उद्देश्य की प्राप्ति का कोई आश्वासन नहीं दिया।

- औद्योगिक विवादों के लिए समाधान एवं विवाद सुधार तंत्र न तो पूरी तरह से गठित किया गया न ही सक्रिय था। निर्माण कार्य समितियां नहीं बनाई गई थीं।

- समाधान अधिकारियों द्वारा समाधान प्रक्रियाओं को आरंभ करने में एक से 121 दिन की रेंज में विलंब था तथा 891 मामलों में समाधान प्रक्रियाओं को पूरा करने में भी 14 दिन की निर्धारित अवधि से अधिक विलंब था।

- अधिनिर्णयों के प्रकाशन तथा कार्यान्वयन में विलंब थे। पैतालीस प्रतिशत अधिनिर्णय तीन महीने से छः महीने से अधिक तक के विलंब से प्रकाशित किए गए।
- अधिनिर्णयों का प्रवर्तन तथा श्रमिकों के नियोक्त्ताओं से बकायों की वसूली अपर्याप्त थी। 2011 से 2016 (अप्रैल) के दौरान जारी कुल ₹ 36.32 करोड़ के 1,245 वसूली प्रमाणपत्रों में से 379 मामलों में ₹ 4.46 करोड़ की वसूलियाँ लंबित थीं।
- विभाग ने संगठनों/ठेकेदारों का आवधिक सत्यापन पूरा नहीं किया जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वे पंजीकृत थे तथाउनके पास संविदा श्रम अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक लाइसेंस थे। निरीक्षण योजनाबद्ध तरीके से नहीं किए गए तथा संविदा श्रम के शोषण की रोकथाम सुनिश्चित करने हेतु निरीक्षण प्रतिवेदनों पर अनुपालना कार्रवाई पर्याप्त नहीं थी।

- 55 में से 54 मामलों में फैक्ट्री लाइसेंस, यह सुनिश्चित किए बिना प्रदान किए गए कि क्या फैक्ट्रियों ने स्वास्थ्य तथा सुरक्षा नीति तैयार की थी।

- भवन व अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अंतर्गत भवनों के निर्माण में उपकर मामलों का निर्धारण सभी लागत घटकों पर विचार किए बिना किया गया जिसके फलस्वरूप कुल ₹ 1.53 करोड़ का उपकर एवं उस पर ब्याज का कम उद्ग्रहण तथा एकत्रण हुआ था।

<u>अनुपालना लेखापरीक्षा</u>

शिक्षा विभाग

- शिक्षा निदेशालयसहायक सेवाओं के लिए शैक्षणिक संस्थानों द्वारा सेवा कर के भुगतान में छूट से संबंधित अधिसूचना को संज्ञान में लेने में असफल रहा जिसके परिणामस्वरुप एक फर्म कोर 1.09 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

गृह विभाग

- हब में संयोजन हेतु स्थान सुनिश्चित किए बिना महानिदेशक होमगार्ड द्वारा सेटेलाइट फोन का क्रय करने और चिकित्सा अधिकारी की सेवा सुनिश्चित किए बिना ऐंबुलेंस की खरीद करने के परिणामस्वरूप ₹59.08 लाख राशि का अपव्यय औरअवरोधन हुआ।

सूचना तकनीकी विभाग

- लोकसेवा कानून के अधिकार का परिपालन धीमा था क्योंकि सभी अधिसूचित सेवाएं इलेक्ट्रानिक-सर्विस लेवल एग्रीमेंट (ई.एस.एल.ए.) पर अपलोड़ नहीं की गई थी तथा जहां अपलोड की गई थी, वह अधूरी एवं गलत थी। आवेदकों को सेवाओं के विलंब से सुपुर्दगी की क्षतिपूर्ति या कीमत का भुगतान करने के लिए सक्षम अधिकारियों को आहरण एवं संवितरण अधिकारीकी शक्तियां प्रदान नहीं की गई थी। सेवाओं की समयबद्ध सुपुर्दगी के लिए प्रत्येक स्तर पर समयसीमा निर्धारित नहीं की गई थी। यद्यपि सेवाएं देरी से प्रदानकी गई, न तो आवेदकों को क्षतिपूर्ति लागत का भुगतान हुआ और न ही चूककर्त्ता सरकारी कर्मचारियों पर जुर्माना हुआ। नकद प्रोत्साहन के द्वारा सक्षम कर्मचारियों के प्रोत्साहन के लिए या जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए चूककर्त्ता अधिकारियों की पहचान हेतु कोई कार्रवाई आरंभ नहीं की गई।

श्रम विभाग

- आयकर रिटर्न को फाइल करने तथा बैंकों द्वारा स्त्रोतों पर काटे गये टैक्स (टीडीएस) की वापसी का दावा करने में दिल्ली भवन व अन्य निर्माण श्रमिक

कल्याण बोर्ड (दि.भ.अ.नि.श्र.क.बो.) की विफलता के परिणामस्वरूप ₹15.95 करोड़ की निधियों का अवरोधन हुआ तथा इसके फलस्वरूप ₹2.73 करोड़ के ब्याज की हानि हुई, जिसे अर्जित किया जा सकता था यदि टीडीएस की वापसी का समय से दावा किया गया होता तथा इसे बैंक में फिक्सड डिपॉजिट किया गया होता।

- दि.भ.अ.नि.श्र.क.बो. के जिला खाते से मुख्य खाते में निधियों के हस्तान्तरण में प्रभावी निगरानी की असफलता के परिणामस्वरूप ₹3.74 करोड़ के ब्याज कीहानि हुई।
- दि.भ.अ.नि.श्र.क.बो. ने 20 मोबाइल वैन औषधालयों की मांग प्रक्षेपित की जबकि 10 अनुमोदित थे तथा उसके पश्चात उनकी उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ₹4.24 करोड़ जारी किया। इसके परिणामस्वरूप ₹1.15 करोड़ के ब्याज की हानि हुई जिसे बोर्ड ₹2.07 करोड़ की अव्ययित राशि के निवेश द्वारा अर्जित कर सकता था।

लोक निर्माण विभाग

- लो.नि.वि. ने परियोजनाओं के वास्तविक निष्पादन से पहले उनके योजना और डिजाइन में पर्याप्त प्रयास और समय नहीं लगाया, जिसके परिणामस्वरूप बढ़ा हुआ विस्तृत अनुमान, ड्राईंग्स और डिजाइनों का संशोधन तथा निर्माण कार्यों के सौंपे जाने के पश्चात् अतिरिक्त मदों/निष्पादन की मात्रा में वृद्धि हुई। निर्माण कार्यों को पूर्ण किए जाने में विलंब तथा विलंब से किए गए निर्माण कार्यों में क्षतिपूर्ति का उद्ग्रहण नहीं हुआ। लो.नि.वि. परामर्शदाताओं के साथ किए गए करारों में मात्राओं के आकलन में आई विभिन्नताओं के लिए दांडिक धारा सम्मिलित करने में असफल रहा तथा संविदात्मक प्रावधानों के बावजूद निर्माण कार्यों के लिए ड्राईंग्स की आपूर्ति किए जाने में विलंब हेतु परामर्शदाताओं पर क्षतिपूर्ति उद्ग्राह्य नहीं की गई। लागत विचरण परिकलित करते समय आधार मूल्य को गलत अपनाने और मात्राओं को गलत लेने के परिणामस्वरूप के अंतर्गत गैर /लघु अदायगी हुई। इन कमियों में ₹241.20 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ थे।

- लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित समयसीमा के अंदर एक मध्यस्थ अधिनिर्णय को चुनौती देने में विफलता के परिणामस्वरूप आवेदन अस्वीकृत हो गया तथा₹14.92 करोड़ के भुगतान को रोकने के मामले में प्रतिवाद का अवसर खो दिया।

प्रशिक्षण तथा तकनीकी शिक्षा संस्थान

विद्यार्थियों की बढ़ती हुई संख्या के साथ ही संस्थान आधारभूत संरचना संबंधी सुविधाओं जैसे कक्षाओं, छात्रावास एवंप्रयोगशालाओं इत्यादि की कमी से जूझ रहे थे। यद्यपि, बढ़ी हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए परियोजना समय से आगे नहीं बढ़ सकी जिससे विद्यार्थियों को लाभ नहीं प्राप्त हो सके साथ ही लागत वृद्धि को भी कम नहीं किया जा सका।विश्व स्तरीय कौशल केन्द्र परियोजना की निर्धारित समय सीमा से पीछे चल रही थी जबकिदिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (दि.प्रौ.वि.वि.) अत्यावश्यक आधारभूत संरचना संबंधी सुविधाओं के निर्माण को शुरु करने व तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम को लागू करने में असफल रहा। नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान (ने.सु.प्रौ.सं.) में लिफ्ट के प्रतिष्ठापन की परियोजना तथा दिल्ली औषद्यीय विज्ञान तथा अनुसंधान संस्थान (दि.औ.वि.अ.सं.) के पी जी ब्लॉक के निर्माण के कार्यान्वयन में अत्यधिक विलंब के परिणामस्वरुप लागत में ₹ 22.29 करोड़ की वृद्धि हुई।

शहरी विकास विभाग

- सक्षम प्राधिकारी के विशेष अनुमोदन के बिना एकमुश्त करार में मूल्य विभेद खण्ड के सम्मिलन के परिणामस्वरुपदिल्ली जल बोर्डद्वारा₹ 10.22 करोड़ का परिहार्य भुगतान हुआ

- दिल्ली जल बोर्ड भलस्वा के गोल्फ कोर्स में संशोधित बहिष्प्रवाही जल (सं.ब.ज.) की आपूर्ति के पहले दिल्ली विकास प्राधिकरण के साथ कोई भी करार करने में असफल रहा, जिसके परिणामस्वरुप अप्रैल 2004 से मार्च 2016 की अवधि के दौरान आपूर्ति किए गयेसं.ब.ज. के लागत के रुप में₹ 3.95 करोड़ की गैर-वसूली हुई।

- विभाग की ओर से ठोस निर्णय लेने में निरुत्साही रवैये के कारण 3.78 एकड़ की एक भूमि, जहाँ ₹ 2.86 करोड़ का निवेश किया गया था, 15-16 वर्षों से व्यर्थ पड़ी थी, जिससे यमुना पार क्षेत्र के निवासी वांछित सुविधाओं से वंचित रहे।

*****

ग राजस्व तथा सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र (सा.क्षे.उ.) पर वर्ष 2016 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 5

इस प्रतिवेदन में राजस्व क्षेत्र तथा सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र(सा.क्षे.उ.) से संबंधित लेखापरीक्षा प्राप्तियां है। इस प्रतिवेदन का कुल धन मूल्य ₹1,080.32 करोड़ है।

<u>राजस्व क्षेत्र</u>

वर्ष 2015-16 के लिए सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां, वर्ष 2014-15 के ₹29,584.59 करोड़ की तुलना में ₹34,998.85 करोड़ थीं। इसमें से 88 प्रतिशत कर राजस्व (₹30,225.16 करोड़) और गैर-कर राजस्व (₹515.40 करोड़) से उद्ग्रहित किए गए। शेष 12 प्रतिशत भारत सरकार से सहायता अनुदान (₹4,258.29 करोड़) के रूप में प्राप्त हुआ। कर राजस्व में वृद्धि 13.61 प्रतिशत तथा गैर-कर राजस्व में कमी पिछले वर्ष की तुलना में 18.52 प्रतिशत थी।

वर्ष 2015-16 में आयोजित व्यापार एवं कर, राज्य उत्पाद शुल्क, परिवहन एवं राजस्व विभाग की 80 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में ₹164.17 करोड़ के 459 मामलों में कम मूल्यांकन/कम उद्ग्रहण/राजस्व घाटा और अन्य कमियाँ पाई गई। संबंधित विभागों ने ₹7.02 करोड़ के कम मूल्यांकन और अन्य कमियों को स्वीकार किया।

इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में अवनिर्धारण, राजस्व की कम वसूली/हानि, ब्याज व जुर्माने से संबंधित चार निदर्शीपैराग्राफ हैं जिसमें 122.97 करोड़ की राशि है जिसे नीचे सारांशीकृत किया गया है।

राजस्व बकायों के वसूली की प्रणाली

व्यापार एवं कर और उत्पादन शुल्क, मनोरंजन तथा विलासिता कर विभाग के भूमि राजस्व के बकायों जैसाकि संबंधित अधिनियमों में दिया गया है की वसूली के प्रयासों की संवीक्षा अप्रभावी मॉनीटरिंग तथा चूककर्त्ताओं के विवरणों के अपर्याप्त रखरखाव; विभाग की बकायों का अनुसरण एवं वसूली करने की क्षमता की अनिश्चितता को उजागर करती है। सरकारी बकायों की वसूली से संबंधित प्रावधानों को समयपूर्वक लागू करने में गंभीरता की स्पष्ट कमी थी जिसके परिणामस्वरूप व्यापार एवं कर विभाग में2012-13 के प्रारंभ में ₹15,249.16 करोड़ से बकायों में 31 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा 2014-15 के अंत में यह ₹20,039.34 करोड़ हो गई। व्यापार एवं कर विभाग और उत्पाद शुल्क, मनोरंजन एवं विलासिता कर विभाग में लंबित माँगों के मामलों में वसूली प्रक्रिया शुरू नहीं की गई थी जो प्रणाली में अंतर्निहित त्रुटियों का गलत और कमजोर आंतरिक निरीक्षण, अनुचित ढंग से भुगतान को दर्शाना और प्रणाली निर्माण दोषों के परिणामस्वरूप माँगों की वसूली नहीं की गई। मूल्यवर्द्धित कर में ₹ 80.53 लाख की वापसी को अनुमोदन दिया गया जबकि डीलरों का पंजीकरण निरस्त कर दिया गया था। उत्पाद शुल्क, मनोरंजन तथा विलासिता कर विभाग में माँग व वसूली पंजिका का उचित ढंग से रखरखाव नहीं किया जा रहा था जिससे राजस्व के भुगतान और बकायों की निगरानी की जा सके।

<u>व्यापार एवं कर विभाग</u>

- दो निर्धारितियों द्वारा 'सी' प्रपत्रों पर रियायती दर की अस्वीकार्य अनुमति दिए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 0.58 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ, ₹ 0.39 करोड़ का ब्याज और ₹ 0.57 करोड़ का जुर्माना भी उद्ग्रहणीय था।

- विभाग उन डीलरों से जिनका पंजीकरण निरस्त हो चुका था, ₹ 2.84 करोड़ की माँग की वसूली कर पाने में असमर्थ था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.38 करोड़ के ब्याज का घाटा भी हुआ।

<u>राजस्व विभाग</u>

- सब रजिस्ट्रार द्वारा क्षेत्रों के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 36.44 लाख के स्टांप ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सा.क्षे.उ.)

31 मार्च 2016 तक 15 सरकारी कंपनियों और दो सांविधिक निगमों समेत 17 सा.क्षे.उ. थे। 31 मार्च 2016 तक इन 17 सा.क्षे.उ. में निवेश ₹ 27,289.04 करोड़ था। इस कुल निवेश में 35.24 प्रतिशत पूँजीगत और दीर्घावधि ऋणों का 64.76 प्रतिशत था। कुल निवेश 2.37 प्रतिशत घटा और 2011-12 में ₹ 27,951.87 करोड़ से घट कर 2015-16 में ₹ 27,289.04 करोड़ हो गया। सरकार ने 2015-16 के दौरान राज्य सा.क्षे.उ. को इक्विटी, ऋण और अनुदान/आर्थिक सहायता प्रदान करने में ₹ 1,904.41 करोड़ का योगदान किया।

17 सा.क्षे.उ. में से 12 सा.क्षे.उ. ने ₹ 1,177.81 करोड़ का लाभ कमाया और चार सा.क्षे.उ. ने ₹ 2,917.77 करोड़ का घाटा उठाया। एक सा.क्षे.उ. ने अपने लेखे 'न लाभ न हानि'के आधार पर बनाएं।

बकाया लेखों की संख्या 16 (2011-12) से बढ़कर 27 (2015-16) हो गई। 30 सितम्बर 2016 तक एक सा.क्षे.उ. दिल्ली अ.जा./ अ.ज.जा/ अ.पि.व/ अल्पसंख्यक एवं विकलांग वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड के पास 12 वर्षों के बकाया लेखे थे जबकि अन्य सा.क्षे.उ. के बकाए एक सेतीन वर्ष तक के थे। लेखों को अंतिम रूप देने में देरी के परिणामस्वरूप संगत संविधियों के उल्लंधन के अतिरिक्त जनधन के रिसाव एवं धोखे का जोखिम हो सकता है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में ₹957.35 करोड़ की एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा छः पैराग्राफ है।

<u>निष्पादन लेखापरीक्षा</u>

दिल्ली में पॉवर उत्पादन कंपनियों की कार्यप्रणाली

दो पॉवर उत्पादन कंपनियों, इंद्रप्रस्थ पॉवर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड (आई पी जी सी एल) तथा प्रगति पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पी पी सी एल) की कार्यप्रणाली की 2011-12 से 2015-16 की अवधि को कवर करते हुए एक निष्पादन लेखापरीक्षा की गई जिससे क्षमता वृद्धि कार्यक्रमों, ईंधन की ज्यादा खपत तथा उत्पादन लक्ष्यों की गैर-प्राप्ति तथा पॉवर की कम शेड्युलिंग के कारण, प्लांट लोड फैक्टर मानक, गैरनियोजित मेजर शटडाउन एवं मरम्मत तथा रखरखाव में देरी की कमियों का पता चला। कुछ मुख्य प्राप्तियां निम्न प्रकार हैः

- डिस्कॉम से वसूलनीय ₹4,911.07 करोड़ के बकाया बिलों से आई पी जी सी एलऔरपी पी सी एल के नकद प्रवाह पर बुरा प्रभाव पड़ा और कंपनियों को बड़ी मात्रा में अल्पकालीन ऋणों का सहारा लेना पड़ा।

- 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक योजनागत3,340 मेगावाट के छः पॉवर प्लांटों में से मात्र 1,500 मेगावाट पी पी एस-।।।बवाना को चालू किया गया है जबकि बाकी सभी परियोजनाओं को गैस या भूमि उपलब्ध न होने के कारण स्थगित कर दिया गया। परियोजना के ब्लॉक-। और ब्लॉक-।। के कार्यान्वयन की प्रभावी निगरानी न करने के कारण और परियोजना को चालू करने में देरी के कारण पी पी सी एल₹ 474.32 करोड़ की वसूली शुल्क में नहीं कर पायाऔर यह इक्विटी पर ₹ 163.32 करोड़ के अतिरिक्त प्रतिफल का लाभ भी नहीं ले सका।

- पॉवर प्लांट का प्रचालनात्मक निष्पादन उप-इष्टतम था। प्लांटों की सकल स्टेशन उष्मा दर मानकों से ऊंची थी जिससे ₹125.92 करोड़ के अधिक ईंधन का उपभोग हुआ। राजघाट पॉवर हाऊस, गैस टरबाइन पॉवर स्टेशन और पी.पी.एस.-।।। लक्षित प्लांट उपलब्धता तक नहीं पहुंच पाए जिससे ₹616.87 करोड़ के क्षमता प्रभारों की वसूली कम हुई। इसके अतिरिक्त, इन पॉवर प्लांटों की सहायक ऊर्जा उपभोग मानकों से अधिक थी जिससे ₹48.04 करोड़ के मूल्य वाले 154.75 एम.यू. का अधिक उपभोग हुआ।

- दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के मानकों के अनुपालन हेतु कोई कार्य योजना बनाए बिना राजघाट पॉवर हाउस की इकाई-2 का ओवरहॉलिंग आरंभ किया जिसके परिणामस्वरूप प्लांटनिष्क्रिय पड़ा रहाजिसके ओवरहॉलिंग पर किया गया ₹ 15.09 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया।

<u>अनुपालना लेखापरीक्षा</u>

वित्त विभाग

- दिल्ली वित्तीय निगम न केवल लघु उद्योग के उन्नयन व विकास के उद्देश्यों को पूरा करने में विफल रहा बल्कि सिमटते कारोबार पर काबू पाने के लिए अपनी गतिविधियों में विविधतालाने का निर्णय समय से लेने में विफल रहा। निगम का कारोबार में₹ 14.69 करोड़ का संभावित व्यापार न किये जाने के कारण हुई। निगम ने₹ 0.81 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने के लिए अपने मुख्य व्यावसायिक कार्यालय के अतिरिक्त स्थान को किराए पर नहीं चढ़ाया।

पॉवर विभाग

- दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड में स्क्रैप के निपटान में विलंब के परिणामस्वरूप ₹ 5.45 करोड़ का अवरोध और ₹ 1.71 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।
- दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड में ट्रांसफार्मरों की खरीद और उनसे जुड़ी बेज के अधिष्ठापन कार्य की गतिविधियों में तारतम्यता के अभाव में₹ 13.15 करोड़ की निधि का अवरोध हुआ और साथ ही ₹ 4.55 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।
- डिस्कॉम से दावा करने के बजाए पेंशन ट्रस्ट को ₹ 29.97 करोड़ के टीडीएस का परिहार्य भुगतान करने के कारण निधि काअवरोधन तथा इसके परिणामस्वरूप₹ 2.52 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

पर्यटन विभाग

- दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड ने निजी प्रचालकों द्वारा ₹ 1.93 करोड़ के पार्किंग शुल्क के भुगतान से संबंधित करार के शर्तों को लागु नहीं किया यद्यपि इसने राजस्व अंश के भुगतान के लिए स्थगन काल के विस्तार की रियायत देकर ₹ 1.20 करोड़ की आय छोड़ दी।

परिवहन विभाग

- दिल्ली परिवहन आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड करार के अनुरूप रियायत शुल्क की वसूली करने में विफल रहा। परिणामस्वरूप ₹ 1.49 करोड़ की कम वसूली हुई। रियायत शुल्क के देरी से भुगतान करने पर ₹ 1.49 करोड़ का ब्याज प्रभारित करने में भी विफल रहा।

*****

घ राज्य वित्तों पर वर्ष 2016 कीलेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 4

राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के वार्षिक लेखों की विश्लेषणीय समीक्षा प्रदान करता है।

यह प्रतिवेदन तीन अध्यायों में निर्मित है। अध्याय-1वित्त लेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित है और यह पिछले पांच वर्षों के दौरान संपूर्ण प्रवृत्तियों को घ्यान में रखकर मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्तों के व्यापक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करता है। यह पिछले वर्ष से संबंधित प्रमुख वित्तीय कुल योगों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। अध्याय-2 विनियोजन लेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित है। और विनियोजनों का अनुदानवार विवरण और सेवा प्रदाता विभागों द्वारा आवंटित संसाधनों के प्रबंध का तरीका देता है। अध्याय-3 में एक विहंगावलोकन है तथा यह रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं व नीति निर्देशों की अनुपालना की स्थिति है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त

- राजस्व प्राप्तियां पिछले वर्ष से ₹5,414.26 करोड़ (18.30*प्रतिशत*) से बढ़ गई। पिछले वर्ष की तुलना मे कर राजस्व ₹3,621.26 करोड़ (13.61*प्रतिशत*) से बढ़ गये जबकि गैर-कर राजस्व ₹117.14 करोड़ (18.52*प्रतिशत*) से घट गया तथा भारत सरकार से अनुदान पिछले वर्ष से₹ 1,910.15 करोड़ (81.35 *प्रतिशत)* से बढ़ गये। 2015-16 में राज्य के अपने कर राजस्व का अंश कुल राजस्व प्राप्तियों का 86.36 *प्रतिशत* था।

- चालू वर्ष के दौरान ₹ 26,342.55 करोड़ का राजस्व व्यय पिछले वर्ष के व्यय से ₹ 2,833.06 करोड़ (12.05 *प्रतिशत*) से बढ़ गया है। 2015-16 के दौरान राजस्व व्यय कुल व्यय (ऋण तथा अग्रिम को छोड़कर) का 84.80 *प्रतिशत* था।

- पूँजीगत व्यय पिछले वर्ष से ₹ 319.53 करोड़ बढ़ गया। वर्ष 2015-16 के दौरान पूँजीगत व्यय कुल व्यय (ऋणों तथा अग्रिमों को छोड़कर) का केवल 15.20 *प्रतिशत* था।

- सरकार ने 31 मार्च 2016 तक ₹ 18,492.15 करोड़ सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कंपनियों तथा कॉपरेटिवों में निवेश किया हुआ था। इन निवेशों पर लाभ 0.07 *प्रतिशत* था जबकि 2015-16 के दौरान सरकार द्वारा अपनी उधारियों पर भुगतान किए गए ब्याज का औसत 8.54 *प्रतिशत* था।

- रा.रा.क्षे.दि.स. की संपूर्ण राजकोषीय देयतायें 2011-12 के ₹ 29,608.29 करोड़ से बढ़कर 2015-16 में ₹ 33,303.87करोड़ (12.48 *प्रतिशत*) हो गई। 2015-16 के अंत में राजकोषीय देयतायें राजस्व प्राप्तियों का 0.95 गुणा तथा राज्य के अपने संसाधनों का 1.08 गुणा थी।

- मुख्य राजकोषीय पैरामीटरों के संदर्भ में राजकोषीय स्थिति दर्शाती है कि वर्ष 2015-16 के दौरान राजस्व आधिक्य पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 2,581.20 करोड़ बढ़ गया था। 2014-15 में ₹ 218.83 करोड़ का राजकोषीय आधिक्य, 2015-16 में बढ़कर ₹1,331.92 करोड़ हो गया था। 2014-15 में ₹ 2,992.83 करोड़ का प्राथमिक आधिक्य, 2015-16 में बढ़कर ₹ 4,141.73 करोड़ हो गया था।

वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

- 2015-16 के दौरान, ₹ 42,809.39 करोड़ के कुल अनुदान एवं विनियोजनों में से₹ 35,434.86 करोड़ का व्यय किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 7,374.53 करोड़ की बचत हुई। ₹ 7,374.53 करोड़ की कुल बचत में से राजस्व क्षेत्र के अन्तर्गत 13 अनुदानों एवं एक विनियोजन में ₹ 4,496.92 करोड़ की बचत और पूंजीगत क्षेत्र के अन्तर्गत ₹ 2,877.61 करोड़ की बचत हुई।
- 2006-07 से 2014-15 के अनुदानों के संबंध में ₹83.50 करोड़ के अधिक व्यय के अतिरिक्त वर्ष 2015-16 के लिए दो अनुदानों में ₹2.22 करोड़ के अधिक व्यय को संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत नियमित किए जाने की आवश्यकता थी।
- वर्ष 2015-16 के विनियोजन लेखे दिखाते है कि सात अनुदानों से संबंधित 30 मामलों में से प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक की बचतें हुई, जिनका कुल योग ₹ 1,504.36 करोड़ था।
- एक उपशीर्ष में ₹ 278.39 करोड़ की राशि के पूरक अनुदान उच्च/अतिरिक्त व्यय के पूर्वानुमान में प्राप्त किए गए थे। यद्यपि, अंतिम व्यय अब भी मूल अनुदान से कम था।
- 10 अनुदानों (प्रत्येक अनुदान/विनियोग में₹ एक करोड़ या उससे अधिक की बचतें) के अंतर्गत ₹ 5,176.08 करोड़ की बचतों में से ₹ 2,222.26 करोड़ (बचतों की राशि का 42.93 *प्रतिशत*) अभ्यर्पित नहीं किया गया था।
- 2013-14 से 2015-16 के दौरान अनुदान सं. 6-शिक्षा के अंतर्गत 13 मामलों/उप-शीर्षों में ₹ एक करोड़ से अधिक की स्थायी बचतें थी। 2013-14 से 2015-16 की अवधि के दौरान ₹2,684.57 करोड़ की बचतों में से ₹924.20 करोड़ तक की राशि (बचतों का 34.43 प्रतिशत) मार्च 2016 तक अभ्यर्पित नहीं की गई थी। इस अनुदान के अंतर्गत 36 उप-शीर्षों में संपूर्ण प्रावधान विभाग द्वारा अप्रयुक्त पड़ी रही।

वित्तीय रिपोर्टिंग

- विभिन्न अनुदानित संस्थाओं को जारी अनुदानों हेतु उपयोगिता प्रमाणपत्रों (उ.प्र.) को प्राप्त करने में विलंब था। मार्च 2015 तक दिए गए ₹ 24,242.35 करोड़ की राशि के कुल 4,287 अनुदानों में से, मार्च 2016 के अन्त तक ₹ 18,908.72 करोड़ के 3,821 उ.प्र. विभिन्न विभागों से प्रतीक्षित थे।
- बकाया 3,821 उ.प्र. में से ₹ 14,230.71 करोड़ के 2,571 उ.प्र. (67.29 *प्रतिशत*) दो से दस वर्ष से बकाया थे, जबकि ₹ 4,678.01 करोड़ के 1,250 उ.प्र. (32.71 *प्रतिशत*) 10 वर्ष से अधिक समय से बकाया थे।
- वर्ष 2014-15 तक पाँच स्वायत निकायों/प्राधिकरणों के दस वार्षिक लेखे लेखापरीक्षा हेतु 31 मार्च 2016 तक प्रस्तुत नहीं किये गए।